उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या-9/2016/1188/22-1-2016-27/2013

लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

लम्बित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, न्याय की अध्यक्षता में दिनांक 02, 03 व 04 नवम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु-3 में यह निर्देशित किया गया है कि समस्त विभागों में नोडल अधिकारी विशेष सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को ही नामित किया जाय। विशेष सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में उनसे कनिष्ठ एवं कनिष्ठतम अनु सचिव तक के अधिकारी को विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु जैसे ही विशेष सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी उपलब्ध हों, उन्हें नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा नामित नोडल अधिकारी से सम्बन्धित पूर्ण सूचना नाम/पदनाम/मोबाइल नं0 तथा सम्बन्धित विभाग/अनुभाग तथा ईमेल आई0डी0 सहित अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त को दृष्टिगत रखते हुए महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ की वेबसाइट (www.courtcases.up.nic.in) पर प्रदर्शित कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के लम्बित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति की समीक्षा, प्रभावी अनुश्रवण तथा उक्त के संबंध में न्याय विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग किये जाने हेतु एतद्द्वारा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के विशेष सचिव, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क	अधिकारी का नाम	सत्येन्द्र कुमार सिंह
ख	पदनाम-	विशेष सचिव
ग	स्थान-	315, लाल बहादुर शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
घ	मो0 नं0	8765604594
च	ई-मेल आई0डी0	karagaranubhag1@gmail.com

एस0 के0 रघुवंशी

सचिव।

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9/2016/1188(1)/22-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।

2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।

3- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन

4- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव को प्रमुख सचिव/सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के सूचनार्थ।

7- उप महानिदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2;3 व 4

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।